कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

E-mail bemetaracmho@yahoo.com

क्रमांक/स्था.सीधी भर्ती/2023/2400 बेमेतरा, दिनांक 05/09/2023

–:: दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना ::–

दावा आपत्ति निराकरण उपरांत ऑनलाईन आवेदन आधारित, प्रोविजनल मेरिट सूची, में विज्ञापन में प्रावधानित नियम एवं शर्तें के तहत जिला स्तरीय सीधी भर्ती के पदों भेषजज्ञ वर्ग–दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02)–11 पद, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष"–32 पद, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"–06 पद, ड्रेसर वर्ग एक–19 पद, ड्रेसर वर्ग दो–1 पद, लैब असिस्टेंट–1 पद की पूर्ति हेतु संवर्गवार/आरक्षणवार सम्मिलित करते हुए मेरिट सूची 1:10 (1 अनुपात 10) में अभ्यर्थियों को निम्नानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक निर्देश एवं महत्वपूर्ण तथ्य :–

क.	पदनाम	संवर्ग	दिनांक	मेरिट सूची में स.क्र.	पद संख्या
1	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष"	UR+OBC+ST	11.09.2023	01 से 120 तक	32
		UR+OBC+ST	12.09.2023	121 से 250 तक	
		Exe Serviceman	13.09.2023	01 से 10 तक	
2	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "महिला"	UR+OBC+SC	13.09.2023	01 से 60 तक	06
3	फार्मासिस्ट ग्रेड–02	UR+OBC+Female	14.09.2023	01 से 90 तक	11
		Exe Serviceman	14.09.2023	01 से 10 तक	
		Disability Category	14.09.2023	01 से 10 तक	
4	लैब असिस्टेंट	UR	15.09.2023	01 से 10 तक	01
5	ड्रेसर ग्रेड–02	UR	15.09.2023	01 से 10 तक	01
6	ड्रेसर ग्रेड–01	UR+OBC+SC+ST	15.09.2023	01 से 170 तक	19
		Exe Serviceman	15.09.2023	01 से 10 तक	
		Disability Category	15.09.2023	01 से 10 तक	

टीप :– 1.दस्तावेज का सत्यापन, निर्धारित तिथि में, कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–बेमेतरा (सिग्नल चौक के पास रायपुर रोड– बेमेतरा) में किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन तिथि को अभ्यर्थी/आवेदक/आवेदिका के स्वयं की उपस्थिति अनवार्य है।

2.दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को संवर्गवार पद के विरूद्ध 1:10 (01 अनुपात 10) में आमंत्रित किया गया है।

3.दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय भरे गये प्रविष्टियों के आधार पर ही मेरिट सूची का प्रकाशन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत चयन समिति के निर्णय उपरांत ही किसी भी प्रकार का दस्तावेज मान्य होगा।

4.विज्ञापन की कंडिका (26.7) अनुसार आवेदक/आवेदिका ने विज्ञापित पद के विरूद्ध अर्थात् जिस पद के लिए आवेदन किया है, उसी पद का शासकीय स्वास्थ्य संस्था का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र होना चाहिए, तदोपरांत ही अनुभव का अंक मान्य होगा।

5.अभ्यर्थी, दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पत्र, एवं अनुभव प्रमाण–पत्र की मूल प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें, अन्यथा अनुभव का अंक मान्य नहीं होगा।

6.दावा आपत्ति निराकरण उपरांत प्रोविजलन मेरिट सूची एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित संवर्गवार मेरिट सूची में कम्प्यूटर टंकण त्रुटि होने पर, लिपिकीय त्रुटि मानते हुए सुधार किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

7.विज्ञापन के कंडिका कमांक–(26.6) अंतर्गत् छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, के संशोधन आदेश कमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 03 फरवरी 2023 अनुसार छः माह लगातार सेवा के स्थान पर कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को आवेदित पद पर ही कार्य करने पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा, प्रावधानित है। अतएव अभ्यर्थी द्वारा दावा आपत्ति में कोविड–19 के दौरान विज्ञापित पद पर एक वर्ष में 06 माह की सेवा प्रदाय करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ, प्रस्तुत किया गया है, तो उन्हें कोविड–19 का 10 बोनस अंक की पात्रता होगी।

8.अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, संबंधित कौंसिल में पंजीयन/रोगजागार कार्यालय का पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावजों की मूल प्रति अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

9.अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं समस्त दस्तावेजों की 02 प्रति एवं ऑनलाईन आवेदन पावती 02 प्रति, स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10.अभ्यर्थियों को अपने साथ अद्यतन 02 कलर पासपोर्ट साईज फोटो एवं पहचान पत्र (पेन कार्ड/अधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप लाना अनिवार्य होगा।

11.यदि अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा एवं चयन प्रकिया में अपात्र माना जावेगा।

12.ऑनलाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी एवं दस्तावेजों का ही सत्यापन किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन तिथि/समय उपरांत जारी किसी भी दस्तावेज को स्वीकार और सत्यापन नहीं किया जावेगा।

13.छ0ग0 राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11 जून 2020 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम–2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में प्रावधान अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष" पद अंतर्गत्–(1.बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता–पुरूष, 2.स्वास्थ्य कार्यकर्ता–पुरूष, 3.टीका लगाने वाला (व्हेक्सीनेटर) को सम्मिलित किया गया है। अतएव इन पदों पर सेवाअनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक "पुरूष" पद हेतु नियमानुसार अनुभव की पात्रता होगी।

14.कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक बार ऑनलाईन आवेदन किया गया है, अतएव दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को मेरिट कम में आमंत्रित करने हेतु 01 ही आवेदन के आधार पर सूची का प्रकाशन किया गया है।

15.मेरिट के आधार पर सभी संवर्ग को सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु 1:10 में आमंत्रित किया गया है, यहां स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रकाशित मेरिट लिस्ट 1:10 में यदि सभी संवर्ग के अभ्यर्थी का नाम होगा, तो पृथक से संवर्गवार सूची जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु मेरिट लिस्ट 1:10 में यदि किन्हीं संवर्ग से एक भी अभ्यर्थी का नाम नहीं आता है, तो उन्हें पृथक से दस्तावेज सत्यापन की सूचना दी जावेगी।

16.भू. पू. सै. एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु पृथक से मेरिट सूची का प्रकाशन किया गया है।

17.दस्तावेज सत्यापन उपरांत चयन समिति के निर्णय उपरांत पात्र–अपात्र सह फाईनल मेरिट सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

18.विज्ञापन के निर्वचन अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय या उपरांत विभागीय चयन समिति का निर्णय अंतिम, सर्वमान्य एवं अभ्यर्थी के लिए बंधनकारी होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner